भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2151

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

बिहार में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच

2151. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के पूर्णिया में उच्च न्यायालय की एक नई सर्किट बेंच खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालय की खंडपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, सरकार के समक्ष बिहार के पुर्णिया में उच्च न्यायालय की सर्किट खंडपीठ की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****